प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 148/2026)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "दूरसंचार अंतर्संयोजन (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026" जारी किए

नई दिल्ली, 3 नवम्बर 2026 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **"दूरसंचार अंतर्संयोजन (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026"** जारी किए। ये विनियम 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होंगे।

2. दूरसंचार में अंतर्संयोजन से आशय उन तकनीकी, परिचालन और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं से है जो दो या अधिक दूरसंचार नेटवर्कों को जोड़ती हैं, जिससे उनके बीच दूरसंचार ट्रैफिक का प्रवाह संभव होता है और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के उपयोगकर्ता निर्बाध रूप से संचार कर सकते हैं। भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ख), अन्य बातों के साथ-साथ, भादूविप्रा को सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर्संयोजन के निबंधन एवं शर्तें निर्धारित करने तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर्संयोजन सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करती है।

3. अंतर्संयोजन संबंधी मामलों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियामक ढाँचे को प्रासंगिक, पारदर्शी और सेवा प्रदाताओं के बीच कुशल अंतर्संयोजन के अनुकूल बनाए रखने के लिए, भादूविप्रा ने दिनांक 03.04.2025 को "अंतर्संयोजन संबंधी मामलों पर भादूविप्रा के मौजूदा विनियमों की समीक्षा" विषय पर पूर्व-परामर्श पत्र के माध्यम से नियामक ढांचे की समीक्षा आरंभ की। इस पूर्व-परामर्श पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, दूरसंचार अंतर्संयोजन विनियम, 2018 की समीक्षा के लिए हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं।

4. तत्पश्चात, पूर्व-परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तथा पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्रदान करते हुए "अंतर्संयोजन संबंधी मामलों पर भादूविप्रा के मौजूदा विनियमों की समीक्षा" विषय पर दिनांक 10.11.2025 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। परामर्श पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, दूरसंचार अंतर्संयोजन विनियम, 2018 की समीक्षा के लिए हितधारकों की टिप्पणियाँ

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

आमंत्रित की गईं। समय-सीमा बढ़ाए जाने के पश्चात, लिखित टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियाँ क्रमशः 15.12.2025 और 29.12.2025 थीं।

5. परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों के उत्तर में सत्रह हितधारकों ने अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं, जबकि नौ हितधारकों ने प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 28.01.2026 को परामर्श पत्र पर खुली परिचर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई। परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और उनके विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने दूरसंचार अंतर्संयोजन (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026 को अंतिम रूप दिया है।

6. संशोधन विनियमों के प्रमुख बिन्दु नीचे दिए गए हैं:

(i) <u>एलएसए/ सेवा क्षेत्र स्तर पर अंतर्संयोजन</u>: संशोधन अंतर्संयोजन प्रदान करने वाले और अंतर्संयोजन चाहने वाले सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार ट्रैफिक सौंपने या प्राप्त करने के स्थानों पर परस्पर सहमति बनाने में सक्षम बनाता है। यह मौजूदा अंतर्संयोजन विनियामक ढाँचे को आधुनिक नेटवर्क संरचनाओं के अनुरूप बनाता है तथा दीर्घ दूरी प्रभार क्षेत्र (एलडीसीए) और लघु दूरी प्रभार क्षेत्र (एसडीसीए) स्तर पर मौजूदा अंतर्संयोजन से लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) स्तर के अंतर्संयोजन की ओर संक्रमण को सुगम बनाता है। ट्रैफिक को एलएसए-स्तरीय अंतर्संयोजन स्थल (पीओआई) पर स्थानांतरित करने से रूटिंग सरल होगी तथा दुर्लभ नंबरिंग संसाधनों का अधिक कुशल प्रबंधन संभव होगा और इसके परिणामस्वरूप विलंबता में कमी और सेवा की विश्वसनीयता में वृद्धि जैसे लाभ भी प्राप्त होंगे।

(ii) <u>एसडीसीए/एलडीसीए-स्तरीय अंतर्संयोजन स्थलों पर मौजूदा ट्रैफिक का स्थानांतरण</u>: एलडीसीए/एसडीसीए-स्तरीय अंतर्संयोजन स्थलों (पीओआई) पर मौजूद ट्रैफिक को, उपयोग के मिनट (एमओयू) के संदर्भ में, तीन वर्षों के भीतर चरणबद्ध तरीके से एलएसए-स्तरीय अंतर्संयोजन स्थलों पर स्थानांतरित किया जाएगा। इसके पश्चात, समस्त ट्रैफिक एलएसए या सेवा क्षेत्र स्तर के अंतर्संयोजन स्थलों पर ही सौंपा या प्राप्त किया जाएगा।

(iii) <u>आईपी-आधारित अंतर्संयोजन में स्थानांतरण</u>: संशोधन विनियम सेवा प्रदाताओं द्वारा आईपी-आधारित अंतर्संयोजन की स्थापना का प्रावधान करते हैं। इन विनियमों के लागू होने के पश्चात स्थापित किए जाने वाले सभी नए अंतर्संयोजन आईपी-आधारित होंगे। ई1/टीडीएम-आधारित अंतर्संयोजन पर कार्यरत सभी मौजूदा अंतर्संयोजन स्थलों को तीन वर्षों की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से आईपी-आधारित

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

अंतर्संयोजन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। आईपी-आधारित अंतर्संयोजन में स्थानांतरण से बैंडविड्थ दक्षता, कॉल की गुणवत्ता और एंड-टू-एंड कॉल निष्पादन में सुधार होता है।

(iv) आईपी-आधारित अंतर्संयोजन के लिए क्षमता वृद्धि ढाँचा: आईपी-आधारित अंतर्संयोजन के लिए किसी अंतर्संयोजन स्थल पर अधिकतम कॉल संभालने की क्षमता का निर्धारण समवर्ती सत्रों को संभालने की क्षमता और लिंक बैंडविड्थ को ध्यान में रखते हुए तथा भादूविप्रा के प्रासंगिक विनियमों के अनुसार सेवा की वांछित गुणवत्ता को बनाए रखते हुए किया जाएगा।

(v) अंतर्संयोजन स्थलों (पीओआई) के अभ्यर्पण की प्रक्रिया: अंतर्संयोजन स्थल के अभ्यर्पण के लिए एक विशिष्ट विनियामक ढाँचा प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में विनियमों में केवल किसी अंतर्संयोजन स्थल के "वियोजन" का प्रावधान था जो पीओआई पर यातायात के आदान-प्रदान को रोकने के लिए है। यह एक ऐसा कदम है जो किसी सेवा प्रदाता द्वारा दूसरे सेवा प्रदाता से संबंधित कारणों के आधार पर, उनके बीच मतभेदों से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों में उठाया जाता है। इसके विपरीत अभ्यर्पण की प्रक्रिया किसी सेवा प्रदाता द्वारा अपनी प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के लिए किसी अंतर्संयोजन स्थल का स्वैच्छिक अभ्यर्पण करने हेतु है, जैसे कि यातायात में कमी, किसी क्षेत्र से सेवाओं की वापसी या ट्रैफिक का पुनर्मार्गण, जिससे वित्तीय दक्षता में सुधार होता है।

(vi) बैंक गारंटी संबंधी प्रावधानों का युक्तिकरण: मौजूदा बैंक गारंटी ढाँचे को बरकरार रखा गया है; तथापि, पुनर्मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तुत बैंक गारंटियों की वैधता तथा ऐसे पुनर्मूल्यांकन का अंतराल छः महीने से बढ़ाकर बारह महीने कर दिया गया है। आईपी-आधारित अंतर्संयोजन सहित अंतर्संयोजन स्थलों के लिए बैंक गारंटियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने हेतु एक संशोधित पद्धति भी प्रस्तुत की गई है।

(vii) अंतर्संयोजन संबंधी प्रभारों के विलंबित भुगतान पर ब्याज: अंतर्संयोजन प्रभारों अथवा अंतर्संयोजन उपयोग प्रभारों के विलंबित भुगतान के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान प्रस्तुत किया गया है। ब्याज दर सेवा प्रदाताओं के बीच परस्पर सहमति से निर्धारित की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा भारतीय स्टेट बैंक की एक-वर्षीय निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) से दो प्रतिशत अधिक होगी।

(viii) रिपोर्टिंग आवश्यकताएं: संशोधन विनियमों में एलडीसीए/एसडीसीए-स्तरीय अंतर्संयोजन स्थलों से एलएसए-स्तरीय अंतर्संयोजन स्थलों पर ट्रैफिक के स्थानांतरण तथा ई1/टीडीएम-आधारित अंतर्संयोजन

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

से आईपी-आधारित अंतर्संयोजन की ओर संक्रमण की निगरानी के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं।

(ix) वित्तीय निरुत्साहनों का श्रेणीबद्ध ढाँचा: विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इनके प्रावधानों के उल्लंघन पर वित्तीय निरुत्साहनों का एक श्रेणीबद्ध ढाँचा निर्धारित किया गया है। यह संशोधन विनियामक ढाँचे के प्रवर्तन को अधिक प्रभावी, आनुपातिक तथा इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले उल्लंघनों की प्रकृति और गंभीरता के अनुरूप बनाता है।

7. विलंबित भुगतान पर ब्याज, रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षाओं और वित्तीय निरुत्साहनों के प्रावधान विनियमों के प्रभावी प्रवर्तन में सहायक होंगे। संशोधन विनियम विनियामक प्रावधानों को तकनीकी प्रगति और क्षेत्रगत विकास के साथ संरेखित बनाते हैं। इनसे अंतर्संयोजन ढाँचे के सुदृढ़ होने तथा दूरसंचार नेटवर्कों के बीच निर्बाध संचार सुगम होने की अपेक्षा है। इस विनियामक ढाँचे का उद्देश्य प्रभावी अंतर्संयोजन, पारदर्शिता, गैर-भेदभाव और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सेवा प्रदाताओं को अधिक विनियामक निश्चितता प्रदान करना है।

8. "दूरसंचार अंतर्संयोजन (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026" का पूर्ण पाठ, व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

9. किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री समीर गुप्ता, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग-I), भादूविप्रा से ईमेल आईडी: adv-nsl1@trai.gov.in अथवा दूरभाष संख्या +91-11-20907752 पर संपर्क किया जा सकता है।

(पुष्पेंद्र कुमार सिंह)

सचिव (प्रभारी), भादूविप्रा

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi